सहायता का प्रतिमान

मिनी मिशन-I

प्रौद्योगिकी सहयोग प्रदान करने के अनुक्रम में मिनी मिशन का उद्देश्य है :(i) बागानी फसलों के मूल बीज/आधारभूत बीज तथा पौध सामग्रियों की आपूर्ति (ii) उत्पादन और रक्षण प्रौद्योगिकियों का मानकीकरण और (iii) ऑन-फार्म परीक्षणों के जरिए प्रौद्योगिकी परिष्करण एवं प्रशिक्षण । इसमें निम्नलिखित कार्यकलाप किए जाएंगे:

* बीज और पौध सामग्री (बागानी फसलों के मूल बीज/आधारभूत बीज एवं पौध सामग्री की आपूर्ति)

*प्रौद्योगिकी मानकीकरण (फल,सब्जियों, मसालों एवं पौध-रोपण फसलों में उत्पादन और रक्षण प्रौद्योगिकियों का मानकीकरण, जैव कृषि पद्धतियों का विकास तथा पारिस्थितिकी-अनुकूल समेकित कृमि और रोग प्रबन्धन)

* प्रौद्योगिकी परिष्करण (प्रौद्योगिकी परिष्करण और किसानों के खेतों पर ऑन फार्म परिक्षणों के जरिए प्रशिक्षण प्रदान करना)

मिनी -मिशन-II

इस मिनी-मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्षेत्र में बागवानी उत्पादों के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करना है । सहायता का प्रतिमान निम्नवत् है:-

***क्षेत्र विस्तार:**

फल, कंद और रेशेदार फसलों सहित सब्जियां, मसाले, काजू और औषधीय पौधे लागत की 50% की दर से 13000/- प्रति हैक्टेयर तक सीमित । सुगंध देने वाले पौधे लागत की 50% की दर से 5000/- रू० प्रति है० तक सीमित । पुष्पकृषि लागत की 50% की दर से 13000/- 0.2 है० की प्रति यूनिट तक सीमित। माडल पुष्प कृषि केन्द्र 70.00 लाख रू० प्रति केन्द्र की दर से । समेकित मशरूम यूनिट 50% लाख रू० प्रति केन्द्र की दर से ।

* जल संसाधनों का सृजनः सामुदायिक तालाब-10.00 लाख रू०/टैंक, 1.00 लाख रू० प्रति हैक्टे० की दर से, नलकूप-लागत के 50% की दर से, प्रति नलकूप अधिकतम 12,500 रू० तक सीमित

* खेत पर जल प्रबंधः "प्लास्टिकल्चर इंटरवेन्शन के जरिए बागवानी विकास" -लागत का 50%, 28,500 रू० तक सीमित

* **पौध रोपण सामग्री का उत्पादन**

समेकित बहु -फसल नर्सरी, नर्सरी-निजी क्षेत्र में बड़ी नर्सरी के लिए लागत का 50%, 8.00 लाख रू० तक सीमित और छोटी नर्सरी के लिए 3.00 लाख रू० और बड़ी नर्सरी के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में 100% लागत, 18 लाख रू० तक सीमित और छोटी नर्सरी के लिए 3.00 लाख रू० । सार्वजनिक क्षेत्र के लिए संहति और जड़ी बूटी बागान और निजी क्षेत्र में 1.50 लाख रू० ।

टिशू कल्चर- निजी/गैर सरकारी संगठन के लिए लागत का 50% 10.00 लाख रू० तक सीमित और सार्वजनिक क्षेत्र के लिए लागत का 100%, 21 लाख रू० तक सीमित ।

*   5 प्रशिक्षण, फ्रंटलाइन प्रदर्शन,प्रचार, कृषक प्रशिक्षण और प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के जरिए प्रौद्योगिकी अंतरण: कृषक प्रशिक्षण- 7 दिनों के लिए प्रति किसान 1500/- रू०, राज्य के बाहर प्रशिक्षण- 2500/- रू० प्रति किसान, प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण- वास्तविक लागत, प्रति प्रशिक्षणार्थी 50,000/- रू० तक सीमित, पर्यवेक्षक स्तर प्रशिक्षण केन्द्र-पर्यवेक्षकीय-20.00लाख रू०, माली-2.0
लाख रू० ।

6. जैव कृषि

उर्वरक प्रभाग की वर्तमान स्कीमों को समेकित किया जाएगा । अर्थवर्म मल्टीप्लिकेशन फार्म- 30,000 रू० प्रति यूनिट, जैव कृषि अपनाने के लिए प्रोत्साहन-10,000/-रू०/है०,प्रमाणीकरण प्राप्त करने के लिए सहायता- लागत का 90%, कृषक समूह के लिए 5 लाख रू० तक सीमित ।

* कृषि उपकरणों को बढ़ावा देना तथा उन्हें लोकप्रिय बनाना

कृषक प्रशिक्षण - 1000 रू० प्रति किसान । हस्तचालित हेतु 1500 रू० तक सीमित उपकरणों की खरीद के लिए सहायता । विद्युत चालित हेतु 5000 रू०, पावर टीलर हेतु 45000 रु और डीजल इंजन हेतु 9000 रू० ।

* समेकित कृमि प्रबंध : जैव नियंत्रण प्रयोगशालाओं की स्थापना । 8 पूर्वोत्तर राज्यों में सार्वजनिक क्षेत्र में 80.00 लाख रूपये प्रति प्रयोगशाला की दर से और निजी क्षेत्र में लागत का 50%, अधिकतम 40.00 लाख रूपये तक ।

  11,600 है० क्षेत्र को कवर करने के लिए समेकित कृमि प्रबंध (जैव-कृमिनाशियों, फेरोमोन्स आदि के उपयोग) को अपनाने हेतु 1000 रूपये/है० की वित्तीय सहायता ।

  कृमियों एवं रोगों की पूर्व चेतावनी के लिए प्रति यूनिट 4.00 लाख रूपये की दर से सहायता ।

* पौध स्वास्थ्य क्लीनिकः सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के लिए 20.00 लाख रूपये और निजी क्षेत्र के लिए 5.00 लाख रूपये ।

* पत्ता विश्लेषण प्रयोगशालाः सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के लिए 20.00 लाख रूपये और निजी क्षेत्र के लिए 5.00 लाख रूपये ।

* महिला विकासः "पूर्वोत्तर राज्यों हेतु कृषि में महिलाएँ" नामक कृषि एवं सहकारिता विभाग की अनुमोदित स्कीम के अनुसार 100% सरकारी सहायता ।

* सुदूर संवेदनः आवश्यकता के अनुसार परियोजना आधृत ।

* आकस्मिक आवश्यकताः आवश्यकता के अनुसार ।

* बागवानी अवसंरचना का सुदृढीकरण ।

* कृषि एवं सहकारिता विभाग और प्रौद्योगिकी मिशन निदेशालय में मॉनीटरिंग सेल के लिए स्टाफ समर्थन; आई०टी० नेटवर्क के माध्यम से बागवानी विभागों/निदेशालयों का सुदृढीकरण; आंतरिक मूल्यांकन, सेमिनार और सिम्पोजियम और तकनीकी समर्थन ।

मिनि मिशन-III

इस मिनि मिशन का उद्देश्य कटाई पश्चात प्रबंधन, विपणन एवं निर्यात के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं का सृजन करना है । इस उद्देश्य हेतु एन०एच०बी०, डी०एम०आई०, एन०सी०डी०सी०, अपेडा, नैफेड आदि की विद्यमान स्कीमें या तो वर्तमान परिव्यय के साथ या वर्द्धित परिव्यय के साथ कार्यान्वित की जायेगी । इस गैप को ध्यान में रखते हुए विपणन में नए घटकों का प्रस्ताव किया गया है ।

कटाई पश्चात् प्रबंधन: मिशन मोड में अधिक ध्यान देने हेतु दर्शाये गये अतिरिक्त परिव्यय के साथ राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की विद्यमान अनुमोदित स्कीमें कार्यान्वित की जायेंगी । सहायता का प्रतिमान (पैटर्न) राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के कार्यक्रम के अंतर्गत दिया गया है (पृष्ठ सं०) ।

विपणन: सफल विपणन हेतु थोक मंडियों में सेवाओं का सुधार, ग्रामीण प्राथमिक मंडियों का विकास, अपनी मंडियों का विकास, राज्य ग्रेडिंग प्रयोगशालाओं के सुदृढीकरण द्वारा घरेलू व्यापार में एगमार्क और कृषि विपणन सूचना तंत्र का संवर्धन सहित विपणन अवसंरचना के सुदृढीकरण का प्रस्ताव है । सहायता का प्रतिमान इस प्रकार है:

* थोक मंडी परियोजना लागत की 50% की दर से, अधिकतम 50.00 लाख रूपये;
* ग्रामीण प्राथमिक मंडी परियोजना लागत की 50% की दर से, अधिकतम 7.50 लाख रूपये;
* अपनी मंडी लागत का 50%, अधिकतम 7.5 लाख रूपये;
* प्रयोगशालाओं के सुदृढीकरण के माध्यम से गुण्वत्ता नियंत्रण, परियोजना लागत का 100%, अधिकतम 2.5 लाख रूपये ।

विपणन में अग्र एवं पश्च सम्पर्क के लिए, जो उत्पाद की उत्पादकता एवं गुणवत्ता में वृद्धि करेगा तथा किसानों की आय में सुधार करेगा, विकल्प (आल्टरनेट) विपणन व्यवस्था के एक पायलट परियोजना का प्रस्ताव है जिसके अंतर्गत थोक विक्रेताओं, खुदरा व्यापारियों और किसानों के भागीदारी द्वारा सहकारी/निजी/संयुक्त क्षेत्र में विपणन अवसंरचना का विकास किया जायेगा । इस तरह के अवसंरचना के सृजन के लिए ऋण से जुडी पार्श्वान्त राजसहायता के द्वारा लागत के 25% की दर से (60.00 लाख रूपये तक सीमित) सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव है ।

मिनि मिशन-IV:

यह मिनि मिशन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग द्वारा क्रियान्वित किया जायेगा और प्रसंस्कृत उत्पादों के प्रसंस्करण एवं विपणन के सभी मामलों का समाधान करेगा । सहायता का प्रतिमान नीचे दिया गया है:

प्रसंस्करण - खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग (डी०एफ०पी०आई०):

* नई इकाई का संवर्धन - लागत का 50% (अधिकतम 4.00 करोड़ रूपये) की ऋण से जुडी पार्श्वान्त सहायता ।
* विद्यमान एककों का सुधार एवं आधुनिकीकरण - पूंजी लागत का 50%, अधिकतम 1 करोड़ रू० ।
* संवर्धनात्मक कार्यकलाप ।

IV. जनजातीय/पहाड़ी क्षेत्रों में बागवानी का समेकित विकास

उद्देश्य

- समुन्नत कल्टीवार के गुणवत्ता पौध सामग्री का उत्पादन ।
- समुन्नत उच्च उपजवाली किस्मों की बीज सहित नई पौध/पौध सामग्री ।
- समुन्नत कृषि प्रौद्योगिकी, पौध संरक्षण रसायन, पोषक तत्व एवं जल प्रबंधन को अपनाकर उत्पादकता में सुधार करना ।
- कृषक भागीदारी प्रदर्शनों, कृषकों के प्रशिक्षण दौरे, मीडिया समर्थन के माध्यम से प्रसार, विस्तार साहित्य आदि के द्वारा प्रौद्योगिकी का अंतरण ।
- संग्रहण केन्द्र, पैकेजिंग, परिवहन, भंडारण और विपणन जैसी ऑन - फार्म तथा कटाई पश्चात अवसंरचना का सृजन ।

सहायता की पद्यति :

* फलों, सब्जियों, मसालों के लिए बागवानी की समेकित विकास आधारित आवश्यकता और बेंच मार्क सर्वेक्षण के माध्यम से औषधीय पौधा कार्यक्रम ।
* बागवानी के अन्तर्गत आनेवाले समग्र कार्यकलापों का सतत विकास के संबंधित सभी प्रयासों का समेकन ।
* बागवानी के संतुलित विकास के लिए भूमि और अनुकूल कृषि-जलवायुवीय परिस्थितियों का उपयोग करना ।
* एक समेकित सघन क्षेत्र विकास पद्यति अनुवांशिक रूप से उन्नत पौध सामग्री और उच्च पैदावार वाली किस्मों के बीजों की उपलब्धता ; आदानों की आपूर्ति ; संग्रहण केन्द्रों, भंडारण, परिवहन, विपणन आदि जैसी कटाई पश्चात् बुनियादी सुविधाएँ आदि फारवर्ड और बेकवर्ड लिंकेज के साथ फसल उत्पादन को प्रभावित करेगी ।

घटक	राजसहायता की दर
1. तकनीकी - आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन और परियोजना तैयारी	जिलों में तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन के लिए अधिकतम 2.50 लाख रू. और परियोजना बनाने के लिए 25,000/- रू.
2. फसल उत्पादन :	
(i) नर्सरियों की स्थापना	4 हैक्टेयर की बड़ी नर्सरी के लिए अधिकतम 10.00 लाख रू., एक हैक्टेयर की छोटी नर्सरियों के लिए 1.50 लाख रू. कुल लागत के 50% अनुदान के रूप में ।
(ii) क्षेत्र विस्तार	
(क). मौसमी/वार्षिक फसल (वनस्पति, मूल और कंद फसलें आदि)	सभी आदानों की लागत के लिए अधिकतम 10,000/- रू. प्रति हैक्टे.।
(ख) फल और अन्य बारहमासी	आदानों की लागत और मजदूरी लागत आदि का 50% के साथ आने वाले दो वर्षों में पौध रोपण और रखरखाव के लिए अधिकतम 20,000/- रू. प्रति हैक्टे. ; 10,000/-रू., 5000/-रू. और 5000/-रू. की तीन वार्षिक किश्तों में दिया जाएगा ।

(ग) पुष्पकृषि

* ग्लैडियस जैसे बलबस पौधों हेतु 0.2 हैक्टे. की प्रति यूनिट के लिए 20,000 रू.
* गुलाब जैसे कटिंग और ग्राफ्ट से उगाए पौधों के लिए 0.2 हैक्टे. की प्रति यूनिट के लिए 15,000 रू.
* मैरीगोल्ड जैसे फूलों के बीज के लिए 0.2 हैक्टे. की प्रति यूनिट के लिए 4000 रू.
* ग्रीन हाउस के लिए लागत का 50% अथवा अधिकतम 1.50 लाख रू./500 वर्ग कि.मी.
* शेड नैटों के लिए 0.50 लाख रू./इकाई

(घ) खुम्बी

* एक कवक जाल इकाई के लिए 12.35 लाख रू.

(ङ) औषधीय और सुगन्धदायक पौधे

* पाश्चराइज्ड इकाई के लिए 22.00 लाख रू. 12,500/- रू. प्रति हैक्टे. (50,000/- रू. प्रति हैक्टे. की अनुमानित लागत का 25%)

3. प्रौद्योगिकी का अंतरण :

(i) प्रदर्शन प्लाट :

(क). मौसमी/वार्षिक फसलें (वनस्पति, ट्यूबर आदि) — 0.25 हैक्टे. का प्रति प्लाट 3750/- रू.

(ख). फल और अन्य बारहमासी — 0.5 हैक्टे. का प्रति प्लाट 15000/- रू.

(ग). पुष्पकृषि — 0.2 हैक्टे. का प्रति प्लाट 30000/- रू.

(घ). औषधीय पौधों के प्रदर्शन-सह-बीज गुणन प्लाट — 0.5 हैक्टे. का प्रति प्लाट 1500/- रू.

(ii). किसानों के प्रशिक्षण/दौरे — 1000/- रू. प्रति किसान

(iii). विस्तार साहित्य का प्रकाशन — प्रत्येक जिले के लिए 15,000/- रू.

4. **सिंचाई (अंनतिम) :**

(i).	कुंए, टैंक, वाटर पिकअप, ट्यूबवैल आदि जैसे सिंचाई स्रोत	वास्तविक लागत का 50% प्रति इकाई अधिकतम 30,000/-रू. के साथ
(ii).	पम्पसैट	पम्पसैट की लागत का 50% प्रति इकाई अधिकतम 8,000/-रू.के साथ
(iii).	ड्रिप सिंचाई/स्प्रिंकलर प्रणाली	ड्रिप/स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली की लागत के 50% अथवा 28,500/-रू. प्रति हैक्टे. अधिकतम

5. **बागवानी मशीनरी और उपकरण :**

* किसानों की सहकारिताओं, गैर सरकारी संगठनों के संघों आदि को ऊर्जा चालित उपस्करों की लागत का 50% अथवा 20,000/- रू. तक अधिकतम ।

* व्यक्तिगत किसानों हेतु छोटे हस्त/पशु चालित उपस्करों की लागत का 50% की दर से राजसहायता ।

6. **मूल्यांकन, प्रौद्योगिकी किराए पर लेना, सेमिनार, प्रचार आदि :** 30.00 लाख रू. अधिकतम

7. **आन फार्म कार्यकरण सुविधाँए :** प्रत्येक जिले के लिए 18.00 लाख रू. अधिकतम के साथ लागत को पूरा करने के लिए 80% अनुदान ।

8. **कार्यान्वयन लागत :** एस.डी.ए. की परियोजना लागत के 10% से अधिक ।

9. **परिवर्तक विपणन प्रणाली :** एक कालिक अनुदान के रूप में 60.0 लाख रू. प्रति जिले अधिकतम के साथ परियोजना की लागत का 25%